

विशेष सूची पद्धति के अनुपालन संबंधी।

न्यायालय : प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव

माह अप्रैल 2021 में साक्ष्य के लिए सूचीबद्ध प्रकरणों की अस्थायी सूची :

उपरोक्त संबंध में लेख है कि 05 वर्ष से अधिक समय से लंति सिविल प्रकरणों की सूची तैयार की गई है। विशेष सूची में सूचीबद्ध प्रकरणों की सुनवाई दिन-प्रतिदिन की जावेगी और वादी साक्ष्य समाप्त होने के तुरंत बाद प्रतिवादी की साक्ष्य दर्ज की जावेगी और त्वरित रूप से प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

यह विशेष रूप से ल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरणों में बाध्यकारी कारणों के अतिरिक्त सीगिन ही दिया जावेगा।

तदनुसार अस्थायी विशेष प्रकरण की सूची निम्नानुसार है :

क्र०	प्रकरण क्रमांक	पक्षकारो का नाम	संस्थित दिनांक	अधिवक्ता का नाम	वर्तमान स्थिति	आगामी तिथि
1	10415/14	अमरजीत कौर वि० संदीपसिंग वगै०		श्री पी०एन० मिश्रा तथा श्री के०सी० जैन	आरोप पूर्व साक्ष्य	01/04/2021
2	10416/14	बलदेवसिंग वि० सुरेन्द्र सिंग वगै०		उपरोक्तानुसार	— " —	— " —

प्रस्तुतकार उक्त सूची को न्यायालय के नोटिस बोर्ड एवं कॉज लिस्ट पर चस्पा/संलग्न करे।

31-
(उ.प्र. न्यायाधीश प्रथम श्रेणी)
राजनांदगांव (उ.प्र.)

नोट : उपरोक्त सूची अस्थायी सूची है यदि किसी कारण से नियत दिनांक पर पक्षकार/अधिवक्ता साक्ष्य उपस्थित रखने में असमर्थ है तो दिनांक-25/03/2021 से पूर्व अभ्यावेदन प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही करें कारण उचित होने पर प्रकरण को सूची से हार किया जावेगा, अन्यथा प्रकरण के सूची को अंतिम सूची मानकर प्रकरण में दिन प्रतिदिन साक्ष्य दर्ज कर प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जावेगा।

प्रतिलिपि :

- 1/ माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को सूचना सादर प्रेषित,
- 2/ अध्यक्ष/सचि जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगांव की ओर कि प्रकरण से संबंधित अधिवक्ता को अवगत कराने हेतु।
- 3/ कम्प्यूटर शाखा को जिला न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4/ श्री पी०एन०मिश्रा/श्री के०सी० जैन अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

21-03-21
(उ.प्र. न्यायाधीश प्रथम श्रेणी)
राजनांदगांव (उ.प्र.)